अपील सूचना अधिकार संख्या 78/2019 (RCMS 2019/00224) राजेन्द्र सिंह भाटी पुत्र फतेह सिह भाटी निवासी भवानी निकेतन, पूर्वा गेस्ट हाउस के पास, सरदारशहर जिला चुरू (राज.) बनाम जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर

20.01.2020

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राजेन्द्र सिंह भाटी स्वयं उपस्थित नहीं हुआ। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से पाया कि **अपीलार्थी श्री राजेन्द्र सिंह भाटी** ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत अति. जिला कलक्टर एवं अति. जिला मजिस्ट्रेट,श्रीगंगानगर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करके तीन बिन्दुओं की सूचना चाही गई थी, जो लोक सूचना अधिकारी द्वारा उंसे उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी अति. जिला कलक्टर के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत करके लोक सूचना अधिकारी के 250/– प्रतिदिन की शास्ति अधिरोपित करने अनुशासनात्मक कार्यवाही करने एवं क्षतिपूर्ति दिलाई जाने एवं सम्पूर्ण सूचनाएं निःशुल्क उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है।

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री राजेन्द्र सिंह ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 10.08.2019 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर से निम्न सूचना चाही थीः

1. मेरे द्वारा नवीन पेट्रोल पम्पों के अनापति जारी करने के सम्बन्ध में प्रेषित पत्र दिनांक 29.07.2019 जरिये पंजीकृत पत्र RR938436378IN जो डाक विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार आपके कार्यालय में दिनांक 01.08.2019 को प्राप्त हुआ। उक्त पत्र आपके कार्यालय रिकॉर्ड में कब प्राप्त हुआ, उसके प्राप्ति क्रमांक व दिनांक का सम्पूर्ण विवरण (दो प्रमाणित प्रतियों में)
2. इस सम्बन्ध में आज दिनांक 10.08.2019 तक संस्थित की गई कार्यवाही मय संधारित नोटशीट की प्रमाणित प्रतियां। (दो प्रमाणित प्रतियों में)

जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

3. इस संबंध में यदि कार्यवाही नहीं की गई तो किन नियमों के तहत उन नियमो की प्रमाणित प्रतियां (दो प्रमाणित प्रतियों में)

उक्त प्रार्थना पत्र पर अति. जिला मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर ने प्रार्थी को निम्न जवाब देते हुए प्रति अपने पत्र 13316–17 दिनांक 03.12.2015 से इस कार्यालय को भिजवाई है, जो निम्नानुससार है :

क्र.सं.	बिन्दु	जवाब
1	मेरे द्वारा नवीन पेट्रोल पम्पों के अनापति जारी करने के सम्बन्ध में प्रेषित पत्र दिनांक 29.07.2019 जरिये पंजीकृत पत्र RR938436378IN जो डाक विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार आपके कार्यालय में दिनांक 01.08.2019 को प्राप्त हुआ। उक्त पत्र आपके कार्यालय रिकॉर्ड में कब प्राप्त हुआ, उसके प्राप्ति क्रमांक व दिनांक का सम्पूर्ण विवरण (दो प्रमाणित प्रतियों में)	बिन्दु संख्या 1 से 3 की सूचना संलग्न है।
2	इस सम्बन्ध में आज दिनांक 10.08.2019 तक संस्थित की गई कार्यवाही मय संधारित नोटशीट की प्रमाणित प्रतियां। (दो प्रमाणित प्रतियों में)	
3	इस संबंध में यदि कार्यवाही नहीं की गई तो किन नियमों के तहत उन नियमो की प्रमाणित प्रतियां (दो प्रमाणित प्रतियों में)	

अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर ने अपने पत्रांक एफ17(1)( )न्याय /2019/12767–70 दिनांक 26.11.2019 से प्रभारी अधिकारी, राजस्व शाखा कलक्ट्रेट, श्रीगंगानगर, सचिव, नगर विकास न्यास, श्रीगंगानगर, आयुक्त नगर परिषद्, श्रीगंगानगर एवं जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को लिखते हुए अपीलार्थी को निम्न सूचना दी है :

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रार्थी श्री डा. राजेन्द्र सिंह भाटी, मॉ बाला सती लॉ एसोसिएट्स, रावत शॉपिंग मॉल, बाल मन्दिर स्कूल के पास, दूगड विद्यालय रोड, मुख्य बाजार सरदारशहर, चुरू दिनांक 29.07.2109 को प्राप्त प्रार्थना पत्र की छाया प्रति संलग्न कर भिजवाई जा रही है। अतः आप नियमानुसार कार्यवाही करना सुशिश्चित करें।

चूंकि अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर के द्वारा अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र सम्बन्धित विभागों को दिनांक 26.11.2019 को आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाया जा चुका है। **सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है** जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दों में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। तृतीय पक्ष से सम्बन्धित नहीं होनी चाहिए एवं कार्यालय के कार्य संसाधनों को प्रभावित करने वाली अर्थात विस्तृत नहीं होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो कोई नई सूचना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करें जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोज कर नागरिक को ऐसे खोजें गये तथ्यों को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस **अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक सूचना अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते** सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त सूचना का अथ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उसे प्रदान किया जा सकता है। **सूचना के रूप में कोई सुझाव देना किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है।** इसलिए **अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर द्वारा दिया गया उक्त उत्तर सही है, उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं हैं, इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।**

अतः उक्त विवेचन के अनुसार अपीलार्थी की अपील निस्तारित की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर(न्याय शाखा) को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 20.01.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर